उत्तर प्रदेश शासन
उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-2
संख्या-69/सीपी 1136/84-2-2014-सीपी 7/2013
लखनऊ : दिनांक : 20 नवम्बर, 2014

<u>कार्यालय ज्ञाप</u>

श्री विज्ञान राम मिश्र पुत्र स्व0 श्री परमात्मा राम मिश्रा, 53ए/12, मोतीलाल नेहरू रोड, वेलविडियर प्रेस कम्पाउण्ड, इलाहाबाद की नियुक्ति शासन की अधिसूचना संख्या-57/सीपी 197/84-2-2014-सीपी 7/2013, दिनांक 03 मार्च, 2014 द्वारा जिला उपभोक्ता फोरम, हाथरस में अध्यक्ष (पूर्णकालिक) के पद पर की गयी थी।

2. निबन्धक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0 के पत्र संख्या-1934/एससीडीआरसी/ अधि/04/14, दिनांक 05 जुलाई, 2014 द्वारा अवगत कराया गया कि जिला फोरम, हाथरस में कार्यभार ग्रहण किये जाने हेतु श्री विज्ञान राम मिश्र आयोग में उपस्थित नहीं हुए। इस सम्बन्ध में निबन्धक द्वारा यह भी अवगत करया गया कि आयोग को जानकारी प्राप्त हुई है कि श्री विज्ञान राम मिश्र का आकस्मिक निधन दिनांक 16.07.2014 को हो गया है।

3. अत: निबन्धक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा दी गयी उपर्युक्त सूचना के आधार पर श्री विज्ञान राम मिश्रा की दिनांक 16.07.2014 को निधन की स्थिति में जिला उपभोक्ता फोरम, हाथरस के अध्यक्ष (पूर्णकालिक) के पद पर श्री विज्ञान राम मिश्रा की नियुक्ति स्वत: समाप्त समझी जाय।

बी0 एम0 मीना
प्रमुख सचिव।

<u>पृष्ठांकन संख्या-69/सीपी 1136(1)/84-2-2014, तददिनांक</u>

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) निबन्धक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, सी-1, विक्रान्तखण्ड-1, गोमतीनगर, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि निधन की स्थिति में नियुक्ति स्वत: समाप्त समझे जाने का प्राविधान यदि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में न हो तो इस सम्बन्ध में प्राविधान कराये जाने हेतु सुसंगत प्रस्ताव एवं अधिनियम में संशोधन किये जाने का आलेख शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।
(2) जिलाधिकारी, हाथरस ।
(3) कोषाधिकारी, हाथरस।
(4) कार्यालय, जिला उपभोक्ता फोरम, हाथरस (द्वारा निबन्धक, राज्य आयोग)।
(5) गार्ड बुक ।

आज्ञा से,
(हरिश्चन्द्र)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in